विधान परिषद् के प्रथम सत्र 2023 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-04 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
04(क) क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बतायेंगे कि परिवार के सदस्यों के नाम भूमि स्थानान्तरित करने/रजिस्ट्री कराने हेतु स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करते हुए पांच हजार रूपये निर्धारित कर 06 माह के लिए योजना संचालित की गयी थी जिसकी अवधि माह नवम्बर, 2022 को समाप्त हो गयी है?	प्रदेश में पारिवारिक वादों को कम किये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा गिफ्ट डीड की योजना अधिसूचना संख्या-8/2022/ 566/94-एस0आर0-2-2022-700(29)/ 2021 दिनांक 18.06.2022 के माध्यम से लायी गयी थी। अधिसूचना में विहित 06 माह की अवधि दिनांक 17.12.2022 को समाप्त हो चुकी है।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना से कितने परिवार लाभान्वित हुए तथा जनहित में पुनः उक्त महत्वाकांक्षी योजना 06 माह के लिए संचालित कराये जाने पर विचार करेंगे?	इस योजना का लाभ उठाते हुए जन सामान्य द्वारा कुल 2,87,164 गिफ्ट डीड निष्पादित करायी गयी है। सरकार की इस जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजना की व्यापकता और इसके प्रभावों पर विभाग द्वारा वृहद् रूप से अध्ययन किया जा रहा है।
(ग) यदि हाँ, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।

(रवीन्द्र जायसवाल)
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
स्टाम्प एवं पंजीयन तथा न्यायालय शुल्क विभाग,
उत्तर प्रदेश।